

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय दुलदुला, जिला –जशपुर (छ.ग.)

क्र./94/अति.व्याख्या/2024-25

दुलदुला, दिनांक 16/07/2024

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक/574/126/आउशि./राज.स्था./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-54/स्थापना/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 और पत्र क्र. 77/नि.स./स./उ.शि. 2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय दुलदुला, जिला-जशपुर (छ.ग.) में विषय समाजशास्त्र-01 पद, अंग्रेजी-01 पद, रसायनशास्त्र- 01 पद, में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 26.07.2024 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य सम्पन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिये।
- आयु सीमा –अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या	
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
01	समाजशास्त्र	–	01 पद
02	अंग्रेजी	–	01 पद
03	रसायनशास्त्र	–	01 पद

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं , 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर , सेट/नेट, एम.फिल/पी,एच,डी,, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 26.07.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 29.07.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 31.07.2024 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 01.08.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/ न्यायालय में कोई आपाराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/ कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण पर आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानेदय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40-50 मिनट के एक व्याख्यान के लिए		
1	40-50 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए		
3.	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
4.	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता- प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय दुलदुला, नोनियाताला, दुलदुला, जिला-जशपुर (छ.ग.) पिन-496334 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं कहलाएंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में से सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

Dus
Principal
संस्था प्रमुख
Govt College Duldula,
Dist. Jashpur (C.G.)